

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मामला सं. 327 और वर्ष 2016

छीतरराम पुत्र रामदेव जाति रैगर निवासी ग्राम भापुरा, तहसील सांगानेर, गोपीराम पुत्र श्री भैरू जाति बैरवा सा. देह. व कालूराम पुत्र श्री भैरू जाति बैरवा सा.देह. व लालाराम पुत्र भैरू जाति बैरवा सा.देह. व सीताराम पुत्र प्रभू नारायण सा. देह. पूरणमल पुत्र श्री बी.एल. बैरवा सा.देह. हाल निवासी 31 बी, महादेव नगर, करतारपुरा फाटक जयपुर व धन्नी देवी पत्नी शंकरलाल, ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, शांति देवी पत्नी गोपाल ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर, भगवान सहाय, हनुमान पि. लादू सा.देह. व मंगला, हनुमान, लच्छा, रामू पि. नाथू सा.देह. एवं छीतर पुत्र कजोड, मदन, राजू पि. भैरू, म्हौरू पुत्र नारायण सा.देह. तथा मांगी देवी पत्नी रामनारायण, नाना देवी पत्नी नाथूलाल जाति बैरवा नि. पालडी परसा सांगानेर, सोनी देवी पत्नी प्रभूनारायण जाति बैरवा सा.देह.

..... आवेदक

विषय:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 08/07/16

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-


1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हैक्ट. में	स्वामित्व
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (राजस्थान)	ग्राम दौलतपुरा	543	0.06	छीतरराम पुत्र रामदेव जाति रैगर ग्राम भापुरा, तहसील सांगानेर,
		494	0.01	गोपीराम पुत्र श्री भैरू जाति बैरवा सा. देह.
		493/1	0.5475	
		492/1	0.11	
		492	0.02	कालूराम पुत्र श्री भैरू जाति बैरवा सा.देह.
		493	0.11	
		511/1	0.29 हैक्ट.में से रकबा 0.24 हैक्ट.	
		511	0.40 हैक्ट.में से रकबा 0.24 हैक्ट.	लालाराम पुत्र भैरू जाति बैरवा सा. देह.
		532	0.71	सीताराम पुत्र प्रभू नारायण सा.देह.
		506	0.08	पूरणमल पुत्र श्री बी.एल. बैरवा निवासी 31 बी, महादेव नगर, करतारपुरा फाटक, जयपुर।
		529/1	0.72	धन्नी देवी पत्नी शंकरलाल, ग्राम अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, शांति देवी पत्नी गोपाल ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर, भगवान सहाय, हनुमान पि. लादू सा.देह.
		530/1	0.1410	
		538	0.46 हैक्ट. में से रकबा 0.3715 हैक्ट.	मंगला, हनुमान, लच्छा, रामू पि. नाथू सा.देह.
		539	0.30	
		542	0.05	
		464	0.40 हैक्ट. में से रकबा 0.31 हैक्ट.	छीतर पुत्र कजोड, मदन, राजू पि. भैरू, म्हौरू पुत्र नारायण सा.देह.
		465/1	0.12	
		503	0.23	मांगी देवी पत्नी रामनारायण, नाना देवी पत्नी नाथूलाल हि. 7/8,हि.ब. जाति बैरवा नि. पालडी परसा सांगानेर, सोनी देवी पत्नी प्रभूनारायण हि. 1/8 जाति बैरवा सा.देह.
		504	1.24	
		507	0.16	
		508	0.09 हैक्ट. में से रकबा 0.01 हैक्ट.	
		531	0.81 हैक्ट में से रकबा 0.63 हैक्ट.	
कुल किता 22	कुल रकबा 6.41 हैक्ट.			

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम दौलतपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 543 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 494 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 493/1 रकबा 0.5475 हैक्ट. ख.नं. 492/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 492 रकबा 0.02 हैक्ट. ख.नं. 493 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 511/1 रकबा 0.29 हैक्ट. में से रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 511 रकबा 0.40 हैक्ट में से रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 532 रकबा 0.71 हैक्ट. ख.नं. 506 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 529/1 रकबा 0.72 हैक्ट. ख.नं. 530/1 रकबा 0.1410 हैक्ट. ख.नं. 538 रकबा 0.46 हैक्ट. में से रकबा 0.3715 हैक्ट. 539 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 542 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 464 रकबा 0.40 हैक्ट. में से रकबा 0.31 हैक्ट. ख.नं. 465/1 रकबा 0.12 हैक्ट. ख.नं. 503 रकबा 0.23 हैक्ट. ख.नं. 504 रकबा 1.24 हैक्ट. ख.नं. 507 रकबा 0.16 हैक्ट. ख.नं. 508 रकबा 0.09 हैक्ट. में से रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 531 रकबा 0.81 हैक्ट. में से रकबा 0.63 हैक्ट. कुल किता 22 कुल रकबा 6.41 हैक्ट. में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
7. यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जविप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात् जारी किया जा रहा है। यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 08/3/16 को पारित किया गया।





 (मधूसूदन पालीवाल)
 प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-11
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-11/2016/10-561

दिनांक 08/3/16

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र को उनके पंजीयन क्रमांक 233235 दिनांक 25.2.16 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।


 (मधूसूदन पालीवाल)
 प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-11
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।